महत्वपूर्ण एवं खास

कार्यवाई: नाबालिगों को सोल्यूशन बेचने वाले पर जूटमिल पुलिस ने की कार्यवाई

पुलिस को छापेमारी में साइकिल पंचर बनाने वाले दुकान पर मिला था सोल्यूशन की खेप

रायगढ़। सुबह थाना जूटमिल में स्थानीय रहवासी आकर थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज को हीरो होंडा शोरूम के पास रश्मि साइकिल स्टोर के संचालक सुनील अग्रवाल द्वारा मोहल्ले के लड़कों जिसमें नाबालिग भी शामिल है उन्हें सोल्यूशन बेचने की शिकायत किया गया और बताए कि लड़के इस सोल्यूशन का उपयोग सूंघ कर नशे के रूप में कर रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी तत्काल अपने स्टाफ और शिकायकर्ताओं को लेकर रश्मि साइकिल स्टोर में दबिश दिए। जहां उन्हें सायकल पंचर बनाने के काम में आने वाले सोल्यूशन की बड़ी खेप मिली। थाना प्रभारी द्वारा दुकान संचालक सुनील अग्रवाल से नाबालिगों को सोल्यूशन बेचने के संबंध में पूछताछ करने पर सुनील अग्रवाल उग्र होकर कार्यवाही का विरोध करने लगा। थाना प्रभारी द्वारा अनावेदक सुनील अग्रवाल पिता रेखचंद अग्रवाल उम्र 38 वर्ष निवासी जूटमिल होंडा शोरूम के पास थाना जूटमिल के कृत्य पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत प्रतिबंधक कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय पेश किया गया है। थाना प्रभारी द्वारा शिकायतकर्ताओं को आगे यदि इस प्रकार की गतिविधियां होने पर तत्काल सूचित करने कहा गया है।

जूटमिल पुलिस ने नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में महिला को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। जूटमिल पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी के साथ बालिका को गलत तरीके से घर में छिपाकर रखने वाली आरोपी महिला सुमित्रा ओग्रे पति हरिश्चंद्र ओग्रे उम्र 40 साल निवासी टारपाली वार्ड क्रमांक 11 थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक थाना जूटमिल के अपराध क्रमांक 145/2024 धारा 363, 366, 368, 376 आईपीसी 4,6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में आरोपी संजय ओग्रे द्वारा 13 मार्च 2024 को थाना जूटमिल क्षेत्र की नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर अपने घर टारपाली ले गया था। जहां आरोपी संजय ओग्रे की मां सुमित्रा ओग्रे बालिका को नाबालिक जानते हुए 13 मार्च से 10 अप्रैल तक घर में छिपाकर रखी थी। जूटमिल पुलिस द्वारा बेटे के अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रही आरोपिया सुमित्रा ओग्रे के विरूद्ध प्रकरण में धारा 368 आईपीसी विस्तारित कर आरोपिया को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। विदित हो कि आरोपी संजय ओग्रे को जूटमिल पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

शासकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने दसवीं बोर्ड में प्राप्त किए सर्वाधिक अंक

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिला शिक्षा अधिकारी एस एन भगत ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र-छात्राओं की सूची जारी किया है। इस सूची में और नाम जुड़ सकते हैं। जिले के शासकीय और निजी स्कूलों से अब तक प्राप्त जानकारी अनुसार संत थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल बाबाकुटी सारंगढ़ की छात्रा निशा पटेल ने दसवीं बोर्ड में 96% अंक से जिले में प्रथम स्थान प्राप्त की है। इसी प्रकार शासकीय हायर सेकेंडरी बालक स्कूल सरिया के मनीष चौहान ने 95.17 प्रतिशत से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल भटगांव की छात्रा आलिया पटेल ने 94.83% से तृतीय स्थान प्राप्त की है। इसी प्रकार शासकीय हाईस्कूल पोरथ के विमल प्रधान ने 94.67% अंक से चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। जिले में दसवीं के प्रावीण्य सूची में 94.50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत अंक जिन विद्यार्थी ने अर्जित किए, उनमें ज्योति पटेल, पायल सिदार, दीक्षा जायसवाल, अनुराग कुर्रे, तेजस्वी मैत्री, गीतेश पटेल, जूली देवांगन, गायत्री प्रधान, माही राठिया, सिद्धांत मालाकार, प्रीतम यादव, स्नेहा प्रधान, सोनम पटेल, वर्षा कुर्रे, ओमकार चौधरी, हेमलता सिदार, देवेश, वेदांत्तर साहू, आरोही गोस्वामी, गौरी बारिहा, भावेश चतुर्वेदी, भूमिका, तुलसी साहू, जयप्रकाश लक्ष्मे, निशा साहू, शैलेंद्र बघेल,गोपाल पटेल, निर्मल कुमार पैकरा, मीनाक्षी माली, गीतु, किरण नायक, सुनाक्षी प्रधान, शिवानी बघेल, समीर कंवर, ममता सिदार और श्रुति चौहान शामिल है।

प्लांटों में सप्लाई होने वाले पैलेट गोली में मिट्टी, डस्ट के मिलावट पर पूंजीपथरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही

पुलिस ने धोखाधड़ी के अपराध में दो ट्रक ड्रायवर, वाहन मालिक, ट्रांसपोर्टर व कबाड़ी समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

❐ पैलेट गोली की अफरा-तफरी, धोखाधड़ी में प्लांटकर्मी भी था शामिल, पुलिस ने बनाया प्रकरण का आरोपी

रायगढ़

पूंजीपथरा पुलिस ने स्थानीय प्लांटों में सप्लाई होने वाले पैलेट गोली में मिट्टी और डस्ट मिलावट के शिकायत पर सूक्ष्मता और विस्तृत जांच कर इस अवैध कारोबार में शामिल 02 ट्रक ड्रायवर, वाहन मालिक, ट्रांसपोर्टर और एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है जिन्हें धोखाधड़ी के अपराध में पुलिस ने रिमांड पर पेश कर जेल भेजी है।

थाना पूंजीपथरा में स्थानीय स्केनिया स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड कंपनी के एचआर संजीव साहू द्वारा आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराये कि 07 मई को MSP स्टील एण्ड पावर लिमिटेड जामगांव से वाहन क्रमांक CG13D-9375 में 48.890 मैट्रिक टन पैलेट गोली चालक राजू कुमार एवं वाहन क्रमांक CG13L-7431 में 51.080 मैट्रिक टन पैलेट गोली चालक प्रकाश यादव के द्वारा संतोषी रोड़ लाईन्स जूटमिल रोड रायगढ़ के माध्यम से स्केनिया प्लांट के लिए रवाना किया गया था। 08 मई को दोनों वाहन प्लांट पर अनलोडिंग किया गया। जिसे चेक करने पर वाहन में लोड़ पैलेट गोली में मिट्टी, डस्ट मिला हुआ था। आवेदन पर थाना पूंजीपथरा में दोनों ड्रायवरों पर अप.क्र. 129/2024 धारा 407,420 आईपीसी दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा मामले की विस्तृत जांच क्रम में फरार वाहन चालक राजू कुमार और प्रकाश यादव को तत्काल पतासाजी कर हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ करने पर वे बताये कि वाहन स्वामी बिपिन सिंह, ट्रांसपोर्टर धीरज सिंह और स्केनिया प्लांट के लैब असिस्टेंट साकेत गुप्ता की मिली भगत से ट्रक में लोड पैलेट गोली को डनसेना ढाबा चिराईपानी के पास लाकर ढाबा संचालक छबि सिदार से मिलकर दोनों वाहनों से 5-5 टन पैलेट गोली जुमला 10 टन निकाले और उसके स्थान पर मिट्टी और डस्ट मिलाकर कांटा से वजन बराबर कराकर वाहन को प्लांट में अनलोड कर भाग गये थे। आरोपियों से 10 टन पैलेट गोली कीमती 1,30,000 रुपए का जप्त कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी प्लांट का लैब असिस्टेंट साकेत गुप्ता फरार है। पुलिस सरगामी से आरोपी की पतासाजी कर रही है।

गिरफ्तार आरोपी-

(1) राजू कुमार कहार पिता स्वर्गीय हरि कहार उम्र 36 साल निवासी हरिगंवा थाना कांडी जिला गढ़वा (झारखंड)

(2) ओमप्रकाश यादव पिता हरे राम यादव उम्र 28 साल निवासी गिधा थाना दावत जिला रोहतास (बिहार)

(3) बिपिन सिंह पिता स्वर्गीय रासो सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी कैराकादो थाना खैरा जिला जमुई (बिहार)

(4) धीरज सिंह पिता बिपिन सिंह उम्र 25 साल निवासी कैराकादो थाना खैरा जिला जमुई (बिहार)

(5) छबिलाल सिदार पिता स्वर्गीय जतक राम सिदार उम्र 35 साल निवासी खैरपुर थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम व डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर मिलावट के खेल का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक चंदन नेताम, विजय विजय एक्वा, आरक्षक बालचंद राव, धर्मेन्द्र सिंह की अहम भूमिका रही है।

चक्रधरनगर पुलिस ने बालिका से छेड़खानी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में की किया पेश

❐ आरोपित को पोक्सो एक्ट में भेजा गया जेल

रायगढ़

दिनांक 10.05.2024 के शाम थाना चक्रधरनगर में स्थानीय युवती आकर उसके व उसकी छोटी बहन के साथ दीप चौहान (40 वर्ष) निवासी प्रेमनगर रायगढ़ द्वारा झगड़ा, मारपीट करने और गंदी नियत से छेड़खानी करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया।

युवती बताई कि दीप चौहान आये दिन शराब पीकर मोहल्ले में घूमता रहता है और परिचित होने से घर भी आता था। कल 10 मई के सुबह दीप चौहान नशे में ध्रुत होकर घर आया और बेवजह गाली गलौच करते हुए धक्का-मुक्की मारपीट करने लगा जिसे देखकर छोटी बहन बीच बचाव करने आयी जिसे गंदी नियत से दीप चौहान पकड़ लिया । घरवालों ने जैसे-तैसे दीप चौहान को दूसरे कमरे में बंद कर दिये। कमरे अंदर दीप चौहान स्वयं अपने सिर, हाथ पैर को पटकने लगा। युवती के लिखित आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. 222/2024 धारा 294, 323, 354 भादवि 8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर तत्काल आरोपी दीप चौहान को हिरासत में लिया गया। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा रिपोर्टकर्ता युवती, बालिका एवं और आरोपी दीप चौहान का मेडिकल, उपचार कराया गया तथा आरोपी को आज छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिमांड पर भेजा गया, जहां आरोपी के कृत्य पर जेल वारंट प्राप्त होने पर पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर महिला संबंधी अपराध की त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, उप निरीक्षक गेंदलाल साहू एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही है।

रायगढ़ में सटोरियों पर कार्यवाई जारी, पुलिस ने सट्टा-पट्टी लिख रहे 5 आरोपियों को छापेमारी में पकड़ा

❐ आरोपियों से नकद 9,460 रुपए, सट्टा पट्टी और 3 मोबाइल जब्त

❐ साइबर सेल, थाना चक्रधरनगर व जूटमिल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर साइबर सेल तथा थानों की टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ-सट्टा पर कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर साइबर सेल, थाना चक्रधरनगर एवं जूटमिल पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर पुलिस ने सक्रिय किए गए मुखबीरों से सूचनाएं लेकर शहर में छापेमार कार्यवाही की गई जिसमें सट्टा-पट्टी नोट कर रहे 05 आरोपियों को पकड़ा गया है जिनके कब्जे से नगद 9,460 रूपये लाखों की सट्टा पट्टी और 3 मोबाइल की जप्ती की गई है।

चक्रधरनगर क्षेत्र में पुलिस टीम की रेड- पुलिस टीम ने बोईरदादर चौक के पास (1) आरोपी - योगेश बरेठ पिता सुरीत बरेठ उम्र 29 साल निवासी ग्राम सरवानी थाना बरमकेला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ हाल मुकाम विजयपुर थाना चक्रधरनगर को पकड़ा जिससे ₹2,100 नगद और एक मोबाइल जप्त किया गया है। (2) दूसरी कार्रवाई में बोईरदादर मां मेडिकल स्टोर के पास आरोपी सुनील यादव पिता गोपाल यादव उम्र 31 साल निवासी पंडरी पानी थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ को पकड़ा गया जिससे ₹2,300 नगद और दो मोबाइल की जप्ती की गई है।

जूटमिल क्षेत्र में पुलिस टीम की रेड- पुलिस टीम ने (3) आरोपी भूपेंद्र पटेल पिता अनुज पटेल उम्र 25 साल निवासी कबीरचौक रायगढ़ को कबीर चौक के पास पकड़ा गया जिससे 1,720 रुपए (4) आरोपी जय किशन पिता चंद्रहास निषाद उम्र 19 साल निवासी कोड़ातराई जूटमिल को बीमा अस्पताल टी स्टॉल के पास पर सट्टा नोट करते पकड़ा गया जिसके कब्जे से 1,650 रुपए एवं (5) आरोपी शहाबुद्दीन पिता शहानुद्दीन उम्र 35 वर्ष निवासी गांधीनगर जूटमिल को बीमा अस्पताल के पास पकड़ा गया जिसकी कब्जे से 1,690 रुपए की जप्ती की गई है। आरोपियों पर छत्तीसगढ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

सट्टा रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, साइबर सेल प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, बृजलाल गुर्जर, रेणु मंडावी सिंह, आरक्षक प्रशांत पंडा, पुष्पेंद्र जाटवर, विकास प्रधान, विक्रम सिंह, सुरेश सिदार, प्रताप बेहरा, नवीन शुक्ला, रविंद्र गुप्ता, थाना जूटमिल के प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, थाना चक्रधर नगर के प्रधान आरक्षक रवि साय शामिल थे।

मदिरा दुकानों के अहातों हेतु मंगाए गए निविदा प्रक्रिया पूर्ण

❐ जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया 13 दुकानों का चयन

रायगढ़

जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के परिसर से संलग्न अहातों, जिनमें मदिरा उपभोग की अनुमति लाइसेंस शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी के व्यवस्थापन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मंगाए गए थे, जिन्हे आबकारी विभाग से जारी निर्देशों का पालन करते हुए मतदान तिथि के पश्चात 10 मई 2024 को सृजन सभाकक्ष कलेक्ट्रेट रायगढ़ में खोला गया। जिला रायगढ़ की कुल 36 में से 26 मदिरा दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिनमे से 13 मदिरा दुकानों हेतु कुल 31 आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए। चयन के दिन वास्तविक कार्यवाही का संपादन करने के पूर्व निविदादाताओं को प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रक्रिया को सभी निविदादाताओं की सहूलियत के लिए बड़े परदे पर दिखाया गया। सभी 13 दुकानों के लिए आवेदन की संख्या अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय उच्च बोली वाले निविदादाताओं का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा NIC के डेटाबेस से किया गया है। चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता को अपने निविदा प्रपत्र में वर्णित जानकारियों के समर्थन में मूल अभिलेखों के साथ दो कार्य दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है।

चयनित प्रथम निविदादाता को आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित अग्रिम राजस्व की अदायगी भी चयन के दो कार्य दिवस के भीतर करना है। जिला स्तरीय उपसमिति द्वारा उसी दिन दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दस्तावेज परीक्षण और अग्रिम राजस्व जमा करने में असफल रहने पर चयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा एवं द्वितीय क्रम में चयनित आवेदक को अवसर दिया जाएगा तथा ऐसे असफल चयनित आवेदक द्वारा आवेदन के समय जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि को जप्त कर अहाता निर्देश की कंडिका 13.1 अनुसार राज्य में कहीं भी कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से भविष्य में वर्जित कर दिया जायेगा। जिला रायगढ़ की 13 मदिरा दुकानों हेतु निर्धारित रिजर्व प्राइज की तुलना में 266 प्रतिशत अधिक बोली प्राप्त हुई है। प्रक्रिया के दौरान सारंगढ़ जिले की 17 दुकानों हेतु भी कुल 44 पात्र निविदाएं खोली गईं। निविदा प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर रायगढ़, कलेक्टर सारंगढ़, अपर कलेक्टर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी, सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़, जिला आबकारी अधिकारी सारंगढ़ समेत आबकारी विभाग के स्टाफ एवं निविदादाता उपस्थित रहे।

युवक की हत्या मामले के तीन आरोपी गए जेल, आरोपियों ने मारपीट कर की थी युवक की हत्या

रायगढ़

खरसिया पुलिस द्वारा 09 मई को ग्राम भेलवाडीह में युवक दीपक पटेल की मारपीट कर हत्या करने वाले तीन आरोपी संतोष पटैल, अजय पटैल और संतोष की पत्नी रामेश्वरी पटैल को आज गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपियों द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर दिनांक 09.05.2024 की रात्रि दीपक पटेल को लोहे के रॉड, बांस के डण्डा और लात मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचाये थे। मारपीट में गंभीर चोट आये दीपक को डायल 112 द्वारा नजदीकी अस्पताल खरसिया लाकर भर्ती किया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर द्वारा दीपक पटेल को रिफर करने पर उसके परिवार वाले खरसिया से अपेक्स अस्पताल रायगढ़ में ले जाकर भर्ती किये थे जहां उपचार दौरान दिनांक 10.05.2024 की सुबह 03.00 बजे दीपक फौत हो गया। घटना के संबंध में मृतक दीपक के चचेरे भाई नागेन्द्र पटेल निवासी ग्राम सिंघनसरा थाना सक्ती जिला सक्ती की रिपोर्ट पर थाना खरसिया में आरोपियों पर अप.क्र. 268/2024 धारा 302, 294, 323, 34 आईपीसी का अपराध कायम कर तत्काल पुलिस टीम द्वारा आरोपी (1) संतोष पटैल पिता मनोहर पटैल उम्र 46 वर्ष निवासी भेलवाडीह थाना खरसिया (2) अजय पटैल पिता गोविंद राम पटैल उम्र 36 साल निवासी छोटे मुड़पार थाना खरसिया (3) रामेश्वरी पटैल पति संतोष पटैल उम्र 30 वर्ष भेलवाडीह थाना खरसिया को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है जिनसे घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड, बांस का डंडा जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर हत्या के अपराध में त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी खरसिया प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल, उप निरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन, सउनि राजेश दर्शन, लक्ष्मी नारायण राठौर, आरक्षक विशोप सिंह, सत्य नारायण, अशोक कंवर की अहम भूमिका रही है।

ऑनलाइन सट्टे पर कोतरा रोड पुलिस की कार्यवाई, ग्राम कृष्णापुर में रेड कर मोबाइल पर सट्टा नोट कर रहे युवक को पकड़ा

❐ आरोपी से नकद 2,740 रुपए और सैमसंग मोबाइल जब्त

रायगढ़

रात्रि थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक राकेश मिश्रा को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम कृष्णापुर का सुरेश उर्फ पिंटू सिदार स्कूल के पास मोबाइल पर लोगों से संपर्क कर सट्टा नोट कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा शिकायत जांच व माईनर एक्ट की कार्यवाही के लिये पेट्रोलिंग पर रवाना हुये थाने के स्टाफ को ग्राम कृष्णापुर जाकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा मौके पर घेराबंदी कर संदेही युवक को पकड़ा गया जो अपना नाम सुरेश सिदार उर्फ पिंटू सिदार पिता बुंद राम सिदार उम्र 34 वर्ष सा0 कृष्णापुर थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ का रहने वाला बताया जिसके टच स्क्रीन सैमसंग कम्पनी का मोबाईल को चेक करने पर व्हाटसएप में कई आनलाईन सट्टा बाजार का अंकों में सट्टा नंबर सट्टा लगाने वालों के लेन देन का रकम लिखा पाया गया। इस संबंध में सुरेश सिदार ने आनलाईन सट्टा-पट्टी से रूपये पैसो का हार जीत खेलाना स्वीकार किया । आरोपी सुरेश सिदार के कब्जे से एक सैमसंग कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल, नगदी रकम 2700, स्क्रीन शार्ट 06 पर्ची जिसमे 7150 रूपये का हिसाब लिखा है। आरोपी के कृत्य पर थाना कोतरारोड़ में अप.क्र. 187/2024 धारा छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6, 7 के तहत कार्रवाई की गई है। रेड कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, हेमसागर पटेल, प्रधान आरक्षक करूणेश राय, आरक्षक चन्द्रेश पाण्डेय शामिल थे।

दुष्कर्म के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

❐ पीड़ित युवती को रिपोर्ट करने से मना करने वाले आरोपित की मां और भाई पर भी पुलिस ने की कार्यवाई

रायगढ़

थाना सिटी कोतवाली में 09 मई को स्थानीय युवती अपने परिजनों के साथ थाना आकर मोनू बंधन पिता स्वर्गीय भोलानाथ बंधन उम्र 30 साल निवासी रायगढ़ के विरुद्ध आवेदन देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 05 मई की रात्रि मोनू बंधन घर आकर जबरदस्ती बलपूर्वक दुष्कर्म किया। दूसरे दिन सुबह लड़की अपनी घरवालों को बताई। तब मोनू बंधन की मां कांति बंधन और उसका भाई सोनू बंधन इसे थाने में रिपोर्ट करने से मना कर धमकाये। लड़की अपने परिवारजनों में सलाह मसवारा कर 09 मई को थाना में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को गंभीरता से लेते हुए उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर युवती का मेडिकल कराकर तत्काल आरोपियों की पतासाजी के लिए टीम के साथ रवाना हुई। आरोपी मोनू बंधन की मां और भाई थाने में अपराध कायम होने की जानकारी पर रायगढ़ से फरार होकर संबलपुर भाग गये थे जिन्हें कोतवाली पुलिस द्वारा संबलपुर बस स्टैंड पर हिरासत में लिया गया। आरोपी मोनू बंधन भी उड़ीसा फरार होने की फिराक में ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस के इंतजार में खड़ा था जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने हिरासत में लिया और थाना लायी।

आरोपी अपना जुर्म स्वीकार किया है पुलिस ने आरोपी मोनू बंधन की मां कांति बंधन और उसके बड़े भाई सोनू बंधन को पीड़ित युवती को रिपोर्ट ना करने के लिये डराने धमकाने के अपराध में धारा 190, 506 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर किया है तथा आरोपी मोनू बंधन को दुष्कर्म के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड बाद जेल भेजा गया है। आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी में उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर एवं हमराह स्टाफ की सराहनी भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480